

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला कोषागार पदाधिकारी,  
पटनासिटी ।

पटना, दिनांक :

विषय: डा० अखिलेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षक, संकामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-445(3) दिनांक 29.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या-445(3) दिनांक 29.03.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) से डा० सिंह के संचित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी थी जिसका ज्ञाप जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को प्रेषित है। किन्तु संकामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना जिला कोषागार, पटनासिटी के अंतर्गत होने के कारण इसका भुगतान नहीं हो सका है।

अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश के आलोक में भुगतान की कार्रवाई की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न की जाती है।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक : 725(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 19/6/19

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, संकामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० अखिलेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, अधीक्षक, संकामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना । पत्राचार पता- मोहल्ला-आवास संख्या-59/बी, रोड नं०-08/बी, राजेन्द्रनगर डाकघर-राजेन्द्रनगर, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना, बिहार, पिन-800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

सम